

2026/241

निर्णय
10.4.2026

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
राजेन्द्रकुमार बनाम रामकुमार आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 104 वर्ष 2026

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
24.02.2026	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्बी किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 09.03.2026 को पेश हो।	
9.3.2026	<p style="text-align: center;">०१</p> <p style="text-align: center;">कुलार् कलक्टर व पारथव/PC माड्ड अहकाम पत्रावली नुमाइश दिनांक 12.3.2026 पत्रावली नुमाइश</p>	
28.3.2026	<p>वकील प्रदीप ने पारथव-ज मिश्राल पेश किया करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। कुलार् कलक्टर 34 दिवस की वकूली करी काला में हाजिर अदालत आकर शायिका पेश किया गया जिसे कर लखीक शामिल करके किया गया पत्रावली वाले करे पत्रावली दिनांक 25.3.2026 को पेश की।</p>	<p>राजेन्द्र कुमार रामकुमार महेश वीरश्याम विमला</p>
25.3.2026	<p style="text-align: center;">०१</p> <p style="text-align: center;">कुलार् कलक्टर व पारथव/PC माड्ड अहकाम पत्रावली नुमाइश दिनांक 10.4.2026 पत्रावली नुमाइश</p>	<p>अपने र. नि. कलक्टर</p>
10.4.2026	<p>कुलार् कलक्टर 34 दिवस करे पत्रावली नुमाइश कर मुसी गरी। पत्रावली का अकलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध रि कर्हि आई व वकील प्रदीप की सहायि से आकर पर काद की डिक्ली किया गया है। पूर्व दिवस सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल करके किया जाये। पत्रावली नम्बर से काग की जाकर काड तारीकतक पेशा शामिल हुकर हो।</p>	<p>सीराम 104 me रामकुमार</p>  